

18

कार्यालय
आंक सीई/एस ई (डी)

निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 4-06-05

परिपत्र

21

विषय: राजकीय भवनों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना।

वर्षा के पानी द्वारा भू-गर्भ जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के अन्तर्गत 500 वर्ग मीटर अथवा इससे बड़े मूखण्डों पर निर्माण कराये जा रहे प्रस्तावित पर सरंभान भवनों में वर्षा के पानी द्वारा भू-गर्भ का जलस्तर बढ़ाने हेतु निम्न प्रावधान किया जाये।

(1) पूर्वाहान में प्रस्तावित/निर्माणाधीन 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक के मूखण्डों में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए 1मी. X1मी. X1मी. के दो पक्के गड्ढे बना निर्माण किया जायेगा। पहले पक्के को बोल्ट्स व नूट्स बलस्ट से भरा जायेगा जो इस पक्के को जाली जगह जायेगी। पहले गड्ढे को पुनः पक्के से ढोड़ा जायेगा जिसे कर 1-1.5 मीटर गहरे 8" व्यास वाले बोर वेल से छोड़ करके जिसमें छिद्रों द्वारा संचित पाइप लगा होगा। ऐसे दो बोरवेल आस पास 2 मीटर की दूरी पर खोदें जायेंगे इसी प्रकार से 1000 वर्ग मीटर से बड़े मूखण्ड पर उपरोक्तानुसार प्रति 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अनुपात में विशेष प्रयत्न किने जायेंगे ताकि जहाँ तक संभवतः पानी इन बोर वेल में पहुँचा कर जल-विद्युत की प्रकृत्या की जा सके।

एक बोरवेल में बड़े मूखण्ड में सक्षम अधिकारी द्वारा तय किये अनुसार वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए भूमिगत एक या एक से अधिक, टैंक बनाये जायें तथा जहाँ समाप्त हेतु आवश्यक अथवा सौर मिट जैसी अन्य व्यवस्था की जाये।

(2) सर्वमान्य भवनों में जो कि 500 वर्ग मीटर से बड़े मूखण्डों पर स्थित है पुनर्भरण की व्यवस्था एक सुनिश्चित कार्यक्रम बना कर की जाये। सबसे पहले बड़े क्षेत्र पर स्थित बड़े भवनों को इस कार्य हेतु चुना जाये।

विभाग के सभी अधिकारी मुख्य अभियंता/अधीन अभियंता/अधिसूत्री अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यवस्था के लिए उचित प्रावधान करते हुए इसकी निर्धारित भवनों में प्रकृत्या की जाये।

(Signature)
(रिचार्ज मैकेनिक)
मुख्य अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक: 4-06-05

आंक सीई/एस ई (डी) / नं- 235

प्रतिनिधि निम्न की सूची पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, महानगर नगरी स्वयंसेवक समिति, राज. जयपुर।
2. प्रमुख सार्वजनिक सचिव, सामि.वि., राज. जयपुर।
3. अधिसूचित मुख्य अभियंता, सामि.वि., राज. (राजस्थान)
4. अधीक्षण अभियंता, सामि.वि., राज. (राजस्थान)
5. अधिसूचित अभियंता, सामि.वि., राज. (राजस्थान)
6. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (पथ)/राज्यीय राजमार्ग/राज्यीय अधीक्षण अभियंता व अधिसूचित अभियंता (मुख्य अभियंता कार्यालय)।

(Signature)
(रिचार्ज मैकेनिक)
मुख्य अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक: 21/6/2005